FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

वरजु बनाम पुराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 नं. 02/17 सन् 2017

तारीख	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/01/2017	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सिणधाराम निम्बा ने प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/1/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
18/01/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम स्याग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित। ~~प्रार्थी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूची (सिविल मेटरियल) नकल सीमाज्ञान दिनांक 27/01/17 पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया~~। अतः पत्रावली विप्रार्थी संख्या 5 के वकालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 13/02/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	undertaking by me by me विप्रार्थी 5 [signature] सहवन से 02
13/02/17	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम स्याग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 22/02/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

22/02/17 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते दर्ज प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया की विप्रार्थीगण ने विवादग्रस्त भूमि, श्मशान की तरमीम करने के प्रकरण की अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपील का निस्तारण नहीं होने तक इस प्रकरण का निस्तारण नहीं करें, विप्रार्थीगण संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आईन्दा पेश करना चाहते हैं एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/02/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

28/02/17 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 5 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया आईन्दा पेश करना चाहते है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली विप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के व स्टे आवेदन बहस हेतु दिनांक 08/03/17 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

08/03/17 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया था विप्रार्थी संख्या 5 का जवाब बन्द किया जाकर विप्रार्थी संख्या 5 व प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा बताया गया की उक्त खसरों से सम्बन्धित अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए उक्त

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवेदन में किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाकर स्थगित की जावे। जबकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुए बताया की विप्रार्थीगणों द्वारा श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में उक्त खसरों से संबंधित अपील पेश कर रखी है परन्तु उक्त अपील में कोई किसी प्रकार का स्थगन आदेश किसी प्रकार की कार्यवाही को रोकने या मौके व रेकर्ड के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने का जारी नहीं हो रखा है स्थगन आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन में कोई किसी प्रकार की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर नेख्समवनी आदेश किया जावे। प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान भी करवाया गया जिसकी प्रति आवेदन के संलग्न है परन्तु प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो के चारो ओर पत्थर नेख्सम स्थापित करवाये जाने आवश्यक है। यदि विप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में विप्रार्थीगणों के पक्ष निस्तारित होती है तो उक्त नेख्समवनी आवेदन का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर नेख्समवनी मौके पर मुल्क जमाबन्दी करे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2017 / 560 दिनांकः– 8/3/17

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वरजूदेवी पत्नी नवलाराम जाति जाट निवासी भोमोणियों की ढाणी, सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. पुराराम पुत्र खेराजराम वगैरा 30 निवासी बैरड़पुरा, खोखसर पश्चिम तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 02 / 17

आदेश

खसरा नं. 1008 / 921 रकबा 26.00 बीघा मौजा बैरड़पुरा पटवार मण्डल खोखसर पश्चिम भू अभिलेख वृत परेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीनी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

क्रमांक / वाद / 2017 / 561 to 565 दिनांकः– 8-3-17

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी खोखसर पश्चिम को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री वरजू देवी पत्नी नवलाराम।
4. विप्रार्थी श्री पुराराम पुत्र खेराजराम वगैरा 30।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner